फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बंशीलाल बनाम विपक्षी : श्री भवानीशंकर व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 191/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा. दी. पर जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा. दी. का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान को रेकर्ड लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया जा चुका है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाजे लगवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1, 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य हैं एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं किन्तु प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के हक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने पर उतारू होकर बाड को काटता हैं व उसके हिस्से की भूमि में मिट्टी डालता हैं जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना का जवाब पेश नहीं किया गया तथा मौखिक बहस की गई।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदारों के मध्य कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर विपक्षी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं जब तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हो जाता मौके की स्थिति के परिवर्तन से बचने के लिये प्रकरण में विपक्षी को पावन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अरणिया पटवार हल्का पिथलपुरा हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2070–73 की परिशिष्ट (क) की आराजी नम्बर 152, 155, 159, 163 किता 4 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा भूमि, परिशिष्ट (ख) की आराजी न. 164, 165, 166/1, 166/2, 168, 175, 195, 196, 197, 198 किता 10 रकबा 22 बिघा 6 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:32:58 IST
Reason: SelfAttested